न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 24/2016

सुरजा उम्र 82 वर्ष पुत्र नन्दाराम जाति खाती निवासी ढ़ीलसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू

प्रार्थीगण

बनाम

1. बजरंगलाल उम्र 60 वर्ष पुत्र मालाराम जाति खाती निवासी ढ़ीलसर तहसील मलसीसर झुझुनू
2. सांवरमल उम्र 50 वर्ष पुत्र मालाराम जाति खाती निवासी ढ़ीलसर तहसील मलसीसर झुझुनू
3. सीताराम उम्र 46 वर्ष पुत्र मालाराम जाति खाती निवासी ढ़ीलसर तहसील मलसीसर झुझुनू
4. पवन कुमार उम्र 42 वर्ष पुत्र मालाराम जाति खाती निवासी ढ़ीलसर तहसील मलसीसर झुझुनू
5. रामकिशन उम्र 40 वर्ष पुत्र मालाराम जाति खाती निवासी ढ़ीलसर तहसील मलसीसर झुझुनू
6. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गांगियासर तहसील मलसीसर झुझुनू
7. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व अन्गर्त आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं 151 जा.दीवानी

निर्णय

निर्णय दिनांक 26.04.2022

संक्षेप मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम ढ़ीलसर पटवार हल्का ढ़ीलसर की सरहद में भूमि गत ख0न0 17 रकबा 18 बीधा 3 बिश्वा, ख0न0 17/2 रकबा 14 बीधा 5 बिश्वा, ख0न0 22/1 रकबा 23 बीधा 7 बिश्वा, ख0न0 157 रकबा 17 बीधा 5 बिश्वा, ख0न0 169 रकबा 13 बीधा 4 बिश्वा कुल किता 5 कुल रकबा 91 बीधा 19 बिश्वा के हाल ख0न0 25 रकबा 0.07 है0, ख0न0 26 रकबा 0.03 है0, ख0न0 27 रकबा 3.50 है0, ख0न0 35 रकबा 35 है0, ख0न0 36 रकबा 4.24 है0, ख0न0 45 रकबा 5.90 है0, ख0न0 117 रकबा 4.36 है0, ख0न0 135 रकबा 3.34 है0 व ख0न0 45/893 रकबा 0.01 है0 भूमि अवस्थित है। जिसे ठिकाना समय से भुरा व कालू दोनो काश्त करते थे। ठिकाना समय में लगान जमा करवाया। भूरा व कालू की मृत्यू के पश्चात भाला व नन्दाराम ने काश्त किया तथा लगान ठिकाना में जमा करवाया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पश्चात राजस्थान सरकार में जमा करवाया।

नन्दाराम का वारिस में नारायणा अविवाहित फौत हो गया हनुमान डूण्डलोद ननीहाल चला गया। वादी सुरजा एकमात्र वारिस है। भाला के वारिसान में माला हुआ। माला के वारिसान अनावेदकगण 1 लगायत 5 है। वादी के पिता नन्दाराम ने ठिकाना समय में लगान के बदले 1/2 हिस्से को काश्त किया तथा ठिकाना में लगान जमा कराया। लगान की रसीदों में दर हिस्सा 1/2 अंकित है। नन्दाराम के पश्चात आवेदक ने लगान जमा कराया इसलिये आवेदक 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार हुआ।

खसरा गिरदावरी सम्वत 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 व सम्वत 2020, 2021, 2022 में गत ख0न0 17/1 व 17/2 उप काश्तकार के रूप में दर्ज है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2009, 2010 व 2014 में उप काश्तकार के साथ उक्त समय से पूर्व से ख0न0 17/1 व 17/2 को नन्दाराम काश्त करता था, का इन्द्राज है। नन्दाराम के पश्चात आज दिनांक तक सुरजा काश्त करता है। इसलिये गत ख0न0 17/1 व 17/2 का सुरजाराम खातेदार काश्तकार हुआ। ख0न0 17/1 व 17/2 के हाल ख0न0 25, 26, 27, 35 व 36 बने मौके पर ख0न0 25 में आवेदक के रिहायशी

न है ख0न0 26 में आवेदक का 50 वर्ष पुराना कुआं बना हुआ है, ख0न0 27, 35 व 36 को आवेदक मौके पर काश्त करता है व काबिज है। इसलिये आवेदक हाल ख0न0 25, 26, 27, 35 व 36 का खातेदार काश्तकार धोषित करवाने का अधिकारी है।

आवेदक व अनावेदगण संख्या 1 लगायत 5 का भूरा व कालू के समय एक ही परिवार था दोनो सगे भाई थे। जमीन जैर बहस का राजस्व रिकार्ड भूरा के नाम गलत दर्ज हो गया। जो बाद में उसके वारिसान के नाम गलत दर्ज होता रहा। उक्त गलत बना राजस्व रिकार्ड आवेदक के हिस्से तक आवेदक प्रभावहीन धोषित करवाने का अधिकारी है। प्रथमदृष्टया सुविधा का सन्तुलन व अपार क्षति का बिन्दु आवेदक के हक में है यदि अनावेदकगण गलत राजस्व रिकार्ड की आड़ में वादग्रस्त भूमि का विक्रय, रहन बय कर देते है तो आवेदक को असहनीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किया जाना सम्भव नहीं है। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 5 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि आवेदक को भूमि गत ख0न0 17/1 व 17/2 हाल ख0न0 25, 26, 27, 35 व 36 वाके ग्राम ढ़ीलसर में काश्त करने से नही रोके, रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में उजर एतराज कोई हो तो, निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित सम्पूर्ण जमीन अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 5 के पड़दादा भूरा उर्फ भुरू पुत्र खेमा की स्वअर्जित सम्पति रही है जिसमें उसके भाई कालू का कभी किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहा। भूरा उर्फ भुरू अकेला खातेदार काश्तकार था व काबिज था तथा लगान भी अकेले ही तत्कालीन ठिकाना को अदा करता था। उसके पश्चात उसका पुत्र भाला बतोर खातेदार जमीन को काश्त किया। कालू व उसके पुत्र नन्दाराम द्वारा काश्त किये जाने का तथ्य मनगढ़त व गलत है। गिरदावरी को किसी भूमि का राजस्व अभिलेख होने की श्रेणी में नहीं माना गया है न ही खसरा गिरदावरियों में की गई किसी प्रविष्ठि के आधार पर किसी व्यक्ति को इस भूमि का खातेदार होना माना जा सकता। अन्य कोई दस्तावेजात प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किये गये है। जिसके आधार पर प्रार्थी या उसके पिता दादा का विवादित जमीन का खातेदार काश्तकार होना कानून से माना जा सके। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पूर्वज पहले गांव पातुसर में निवास करते थे। तत्पश्चात ग्राम ढ़ीलसर में जमीन होने से ग्राम ढ़ीलसर में ही आकर आबाद हो गये तथा अप्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा जमीन गत ख0न0 17/2 रकबा 14 बीधा 5 बिश्वा में कुआं बनाकर धनपशु का चारा डालने व खेती के समय रिहायश के लिए मकान भी बना लिए। प्रार्थी के पिता नन्दाराम ने भी बाद में ग्राम पातुसर से गांव ढ़ीलसर में आकर आबाद होने की ईच्छा जाहिर की तो आपस में एक परिवार के होने व प्रेमभाव होने से जमीन गत ख0न0 17/2 रकबा 14 बीधा 5 बिश्वा में से 12–13 बीधा खाम जमीन में प्रार्थी के पिता नन्दाराम को काश्त करने की इजाजत दे दी। ओर उसी के अनुरूप नन्दाराम उक्त जमीन पर काश्त करता रहा। इस प्रकार विवादित भूमि का प्रार्थी की पैतृक खातेदारी की भूमि होना साबित नहीं है। इसलिये दावा बिना किसी आधार के व अप्राप्त साक्ष्य सबूतों के अभाव में खारीज होने योग्य है। प्रार्थी का उक्त अनुसार विवादित जमीन पर कब्जा होना न तो प्रमाणित है ना ही कब्जा है। प्रार्थी का उक्तानुसार कब्जा के अभाव में स्थाई निषेधाज्ञा का दावा भी कानून से पोषणीय नहीं होने से खारीज होने योग्य है। अत5 जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

जवाब देही पूर्ण होने पर बहस प्रार्थना पत्र श्रवण की गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादग्रस्त भूमि भूरा व कालू पुत्र खेमा की 12–1/2 खातेदारी स्वयं के नाम थी। वादी सुरजा जो कालू के पोत्र है, ख0न0 25, 26, 27, 35 व 36 पर काश्त करता है। इस बाबत सम्वत 1998 (सन 1941) की लिखावट भी है इसके अलावा राजा महाराजाओं के समय से लगान की रसीदे है व गिरदावरी सम्वत 2009 से 2012 में बतोर उप काश्तकार नाम दर्ज है। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब दावा के साथ पेश किये गये प्रतिदावा की मद संख्या 18, 20 के अनुसार ख0न0

२ में काश्त की इजाजत मकान, कुऐ का पानी नन्दा के समय से ही जो अप्रार्थीगण द्वारा स्वीकार किया गया तथ्य है। अतः मूल वाद के निस्तारण तक विवादग्रस्त भूमि को विक्रय नहीं करें, ना ही रहन रखें, रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 ने दोराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादी की ओर से पेश किये गये दावे में वाद का कारण नहीं है 1998 की लिखावट में भूमि के ख0न0 इत्यादि दर्ज नहीं है। जिससे उक्त लिखावट का कोई औचित्य नहीं है। पेश की गई रसीदों में भूमि का ख0न0 अंकित नहीं है। केवल लगातार कब्जे (possession) के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते। इसलिये प्रार्थी के हक में वादग्रस्त भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारित फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किया जो निम्नानुसार है :–

1. आरआरटी 2013(1) पेज न0 123 सदस्य, राजस्व मण्डल अजमेर रिविजन टीए न0 5723/2002 उनवानी मोहरपाल बनाम प्रभु सिंह निर्णय दिनांक 12.04.2012
2. आरआरटी 2014(1) पेज न0 618 सदस्य, राजस्व मण्डल अजमेर अपील डिक्री टीए न0 757/2003 उनवानी मांगीलाल बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 29.11.2013
3. आरआरटी 2015(1) पेज न0 633 सदस्य, राजस्व मण्डल अजमेर रिविजन टीए न0 2587/2010 व 2566/2010 उनवानी अवतार खान बनाम मेहरबानो निर्णय दिनांक 22.04.14

हमने पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने मूल वाद के निस्तारण तक निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया है। मूल वाद के निस्तारण तक रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने से दोनो पक्षों के हक हकुक पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा साथ ही केवल रिकार्ड की यथास्थिति अपूरणीय क्षति का कारक नही बनता है। उक्त तथ्यों के मध्यजनर मूल वाद में अन्य कोई जटिलता ना हो, इसके लिए मूल वाद के निस्तारण तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाने में कोई प्रतिकुलता दृष्टिगोचर नहीं होती है। जहां तक प्रश्न वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की धोषणा का है, प्रतिवादी ने वादग्रस्त भूमि उनके पड़दादा की स्वअर्जित सम्पति होना दर्ज किया है जबकि ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी के पड़दादा भूरा की स्वअर्जित सम्पति है। प्रतिवादी की ओर से ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि वादग्रस्त भूमि पर वादी द्वारा जबरन कब्जा किया गया हो, वादी का उस पर कोई अधिकार/स्वामित्व नही है। पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त भूमि के स्वामित्व के संबंध में स्थाई समाधान अथवा किसी एक पक्ष का स्वामित्व के प्रश्न पर विचारण मूल वाद में किया जाना है। रिकार्ड की यथास्थिति भूमि के स्वामित्व होने या नहीं होने का निर्धारण नहीं करती। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना न्यायहीत में उचित प्रतीत होता है।

तमाम साक्ष्य सबूतों के मध्यनजर यह न्यायालय इस बात से पूर्ण सहमत है कि मूल वाद के निस्तारण तक रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाई रखी जानी चाहिए ताकि मूल वाद के निस्तारण में ओर जटिलता पैदा ना हो। इसलिये मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम ढ़ीलसर के गत ख0न0 17/1 व 17/2 जिसके हाल ख0न0 25, 26, 27, 35 व 36 की रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुदा होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं मूल वाद के साथ नत्थी रहे।

निर्णय आज दिनांक 26.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/4/22

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर